न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

0न0 – 102/2025

नवान : –

. दर्शनसिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 1 एसआरडब्ल्यू त0 टिब्बी जिला हनुमानगढ ।

प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।
2. लवदीप सिधू पुत्र गुरमीत सिंह जाति जटसिख निवासी एसआरडब्ल्यू त0 टिब्बी जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा
110, 111 मय सपठित धारा 128 एलआरएक्ट
सुभाष गर्ग अधिवक्ता प्रार्थी
राजपैरोकार

दिनांक 31/7/25

निर्णय

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि चक नं0 1. एस. आर डबल्यू पटवार हल्का नाईवाला के खाता सं0 199 / 33 के प0न0 225/265 मु0 4 किलानं0 5/2/.013, 6/2/.033, 15/2/.195, 16/.253, प0न0 225/268 मु0 16 किलानं0 1/.253, 2/.253, 7/.126, 8 ता 10/.759 है०, प0न0 226/265 मु0 3 किलानं0 1 /.025, 10/.240, 11/.253, 20/.253 है0 कुल 2.656 है0 आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीसं0 2 के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। चकनं0 1 एस. आर डबल्यू तहसील टिब्बी के खाता सं0 199 / 33 की कुल 2. 6560 है0 आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 की खातेदारी कृषि भूमि है तथा उपरोक्त कृषि भूमि की पैमाईश के आदेश पटवारी हल्का को दिये गये तथा पटवारी हल्का नाईवाला द्वारा कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) टिब्बी के आदेश क्रमांक 2025 / 11137 / 6 द्वारा दिनांक 22.04.2025 को प0न0 225 / 265 मु0 4, प0न0 225 / 268 मु0 16, प0न0 226/265 मु0 3 को आधार मानते हुए पड़ौसियान की उपस्थिति मौतबिरान पैमाईश करवाकर सीमाज्ञान करवाया गया है तथा उपस्थित मौतबिरान के समक्ष फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर करवाया गया तथा प्रार्थी को निशान दे दिये गये । तहसील टिब्बी के चकनं० 1 एस. आर. डबल्यू के खाता सं0 199 / 33 के प०न० 226/265 मु0 3 किलानं0 1, 10, 11,20 के पूर्वी दिशा की तरफ, उत्तर की ओर 9 फुट दक्षिण की ओर 12.04 फुट पर पटवारी हल्का द्वारा निशान दिये गये । प्रार्थी उपरोक्त कृषि भूमि पर पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है ताकि पडौसीयान के साथ किसी प्रकार का विवाद आदि नही रहे । प्रार्थी चक नं० 1 एस. आर डबल्यू के खाता सं0 199 / 33 के प0न0 226/265 मु0 3 किलानं0 1,10,11,20 के पूर्वी दिशा की तरफ पटवारी हल्का द्वारा निशान दिये गये तथा पर प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 अपनी कृषि भूमि पर काबिज होना चाहते है परन्तु पत्थरगढ़ी के निशान नही होने के कारण प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 को परेशान का सामना करना पड़ता है तथा प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 अपनी कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी करवा पाने के अधिकारी है । यही प्रार्थना पत्र है । प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 ने अप्रार्थीसं० 1 को कई मर्तबा कहा कि वो प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 के नाम दर्ज कृषि भूमि पर पटवारी हल्का पैमाईश के निशान दिये गये एंव उपरोक्त निशान पर एंव प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की भूमि पर पत्थरगढ़ी करवा देवे तो जिस पर अप्रार्थी सं० 1 कुछ दिन तक तो आजकल – 2 करता रहा आखिर मुकाम तहसील परिसर टिब्बी में कतई इन्कार हो गया। लिहाजा यही बिनाय मुखास्मत है । अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जावे तहसील टिब्बी के चक 1 एस. आर डबल्यू के खातासं0 199 / 33 के प0न0 226/265 मु0 3 किलानं0 1,10,11,20 की भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने के आदेश अप्रार्थी सं० 1 को दिये जावे ।

Scanned with CamScanner

प्रार्थना पत्र होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि राज्यहित को ध्यान में रखते हुए मुकदमा का निस्तारण फरमाया जावें व पत्थरगढी की जावें तो उचित है। जवाब शामिल मिसल किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया जाकर पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत पत्रावली में चक 1 एस. आर डबल्यू के खातासं0 199 / 33 के प0न0 226 / 265 मु0 3 किलानं0 1,10,11,20 भूमि की पैमाईश कर हल्का पटवारी व अन्य मौतबिरान ने अपने हस्ताक्षर कर मौका रिपोर्ट तैयार की गई चित्रप्रति दैनिक डायरी संलग्न पत्रावली है। प्रार्थी द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट के अनुसार पत्थरगढी हेतु निवेदन किया गया। जवाब पैरोकार राज के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि उक्त कृषि भूमि का सीमाज्ञान पूर्व में हुआ है जिसके स्थाई समाधान हेतु प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा अप्रार्थी सं0 1 को कोई ऐतराज नहीं है। उक्त कृषि भूमि मे प्रार्थी खातेदार काश्तकार है जिसका नियमानुसार प्रार्थी को सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाने का अधिकार है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से खातेदारों के अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार का परिवर्तन होने का कोई अंदेशा नहीं है। तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्त के मध्यनजर प्रार्थी का प्रर्थाना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 110–111 एलआरएक्ट सपठित धारा 128 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार टिब्बी को आदेश दिये जाते है कि वे चक 1 एसआरडब्ल्यू के खाता सं0 199 / 33 के प0न0 226 / 265 के मु0न0 3 के किला न0 1, 10, 11,20 की भूमि में अगर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो प्रार्थी से नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाया जाकर संबंधित पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर विधिवित् पत्थरगढी व पैमाईश करावें। पत्थरगढ़ी व पैमाईश की उक्त प्रक्रिया के दौरान उक्त मु0न0 / किला न0 में दर्ज प्रार्थीगण एवं अन्य प्रभावित काश्तकार / पड़ौसी काश्तकारों को सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति में पत्थरगढी व पैमाईश किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 31/7/25 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया।

(सत्यनारायण)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner